तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जाते हुए
24/7/19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण प्रतिवादीगण उपस्थित। ~~एस.डी. ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। भ्रमण पर है।~~ अभिभाषक संघ फतेहपुर ने कार्य स्थगित कर रखा है। मिसल गत आदेशानुसार दिनांक 02/08/19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर, सीकर.	
02/08/19	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार फतेहपुर से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 09/08/2019 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर सीकर	
09/08/19	पत्रावली पेश हुई। बहस सुनी गयी। निर्णय पृथक से लिखा कागज शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। (रेनू मीणा) उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर सीकर	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी का नाम– रेनू मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 03/2018

तेजा उर्फ तेजाराम पुत्र कुरड़ा जाति मेघवंशी निवासी उतरादी कोटड़ी वार्ड नं0 9 बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर जरिए मुख्त्यार अबरार अहमद पुत्र अयूब अली जाति कायमखानी निवासी उतरादी कोटड़ी बेसवा तहसील फतेहपुर

वादी

बनाम

1. पूर्णमल पुत्र नारयण
2. शंकरलाल
3. मदनलाल
4. भागीरथ
5. मनफूल
6. कालूराम
7. मनीराम
8. विधाधर
9. विनोद
10. शिशपाल

    समस्त पुत्रगण केशरदेव जाति मेघवंशी निवासीगण उतरादी कोटड़ी बेसवा तहसील फतेहपुर
11. चाना देवी बेवाह केशरदेव जाति मेघवंशी निवासी उतरादी कोटड़ी बेसवा तहसील फतेहपुर
12. किशोर पुत्र दानाराम जाति नायक निवासी ग्राम कासली (सीकर) राज0
13. तहसीलदार फतेहपुर
14. हल्का पटवारी, पटवार हल्का बेसवा

––प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा

उपस्थित अधिवक्ता
श्री दिनेश शर्मा – वादी

निर्णय

दिनांकः–09.08.2019

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 576 रकबा 1.3900 है0 ग्राम बेसवा में अवस्थित है। उक्त भूमि में 0.5700है. भूमि का खातेदार, काबिज, काश्तकार वादी है तथा शेष भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 12 के नाम दर्ज है।

उक्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 12 के मध्य मौके पर बंटवारा किया हुआ है। वादी की भूमि उक्त खसरा नम्बर के पश्चिमी तरफ स्थित है। जिसे दावे के साथ प्रस्तुत नक्शे में एबीसीडीईएफ मार्क से व लाल रंग से दर्शित किया गया है।

वादी ने उक्त भूमि में उत्तरी पूर्वी कोने में एक कमरा व स्टोर बना रखा है तथा बीच एक पानी की होद बना रखी है तथा पश्चिम दक्षिणी कोने पर पुख्ता गेट लगा रखा है। जो उक्त भूमि के दक्षिण में स्थित आम रास्ते में खुलता है। वादी ने उक्त भूमि में अपने हिस्से के चारों तरफ तारबन्दी कर रखी है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 112 के हिस्से की भूमियों की नीव सीव मौके पर पृथक से कायम है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 12 का वादी के हिस्से की उक्त भूमि से कोई संबंध सरोकार नहीं है किन्तु वादी की उक्त भूमि मुख्य आम रास्ते पर स्थित होने से प्रतिवादीगण के मन में लालच आ गया है तथा वे येन केन प्रकारेण वादी को वादी के कब्जे, काश्त, उपयोग–उपभोग की उक्त भूमि से जबरन बेदखल करने की धमकियां दे रहे है जिसका उन्हें कोई हक अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण यदि अपने उक्त गलत कृत्य में सफल हो गए तो वादी को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी। प्रतिवादीगण के उक्त गलत कृत्य के कारण राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि को शामिल शरीक रखना अब सम्भव नहीं रहा है तथा वादी अपने खाते, कब्जे, काश्त की भूमि का नाप व सीमांकन के जरिए बंटवारा करवाने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 12 को उक्त भूमि का बंटवारा करवाने के लिये कहा जिस पर पहले तो वे आज कल करते रहे किन्तु दिनांक 05.11.2017 से प्रतिवादीगण उक्त भूमि का बंटवारा करवाने से स्पष्ट इन्कार हो गये इस कारण यह दावा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकि फरमाया जावे कि आराजी खसरा नम्बर 576 रकबा 1.3900है. जिसका नया खसरा नम्बर 887 रकबा 1.3900है. वाके ग्राम बेसवा तहसील फतेहपुर में से वादी के खाते कब्जे काश्त की भूमि रकबा 0.57है. जिसे वादपत्र के साथ सलंग्न नक्शे में एबीसीडीइएफ मार्क से व लाल रंग से दर्शित किया गया है का बंटवारा किया जाकर उसका खाता कब्जा लगान पृथक कायम फरमाया जावे।

मिसल मुर्तिव की जाकर प्रतिवादीगण की तलवी की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में प्राथमिक डिकी जारी की जाकर तहसीलदार, फतेहपुर को विभाजन प्रस्ताव हेतु भिजवायी गयी। तहसीलदार, फतेहपुर से जरिये पत्रांक 1625 दिनांक 02.07.2019 के विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। वकील वादी की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वाद वादी डिकी किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सीकर)

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर खसरा नम्बर 576 रकबा 1.3900है. जिसका नया खसरा नम्बर 887 रकबा 1.3900है. वाके ग्राम बेसवा का निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

क्र.सं.	नाम खातेदारान	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
1	तेजा पुत्र कुरड़ा जाति मेघवाल सा. देह	887/2	0.4575है.	बा.2	2.28
2	जाफर खां पुत्र फूल खां जाति कायमखानी सा. बेसवा	887/3	0.25है.	बा.2	1.25
3	कालुराम पुत्र केशर हि. 0.022है. भागीरथ पुत्र केशर हि. 0.046है. मदनलाल पुत्र केशर हि. 0.046है. मनफूल पुत्र केशर हि. 0.022है. मनीराम पुत्र केशर हि. 0.022है. विधाधर पुत्र केशर हि. 0.022है. विनोद पुत्र केशर हि. 0.046है. शंकरलाल पुत्र केशर हि. 0.046है. चाना पत्नी केशर हि. 0.022है. पूर्णमल पुत्र नारायन हि. 0.11है. जाति मेघवाल सा. देह रमेश कुमार पुत्र नत्थूराम हि.0.1125है. जाति बलाई सा. फतेहपुर किशोर कुमार पुत्र दानाराम हि.0.12है. जाति नायक सा. कासली शिशपाल पुत्र केशर हि. 0.046है. जाति मेघवाल सा. देह	887/1	0.6825है.	बा.2	3.42

खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे। रहन खातेदारन बदस्तुर रहेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

(रेर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर सीकर

निर्णय आज दिनांक 09.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

पर्चा डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.................मुकाम.........फतेहपुर (सीकर)

इजलास...............रेनू मीणा (आर.ए.एस..)..

तेजा उर्फ तेजाराम पुत्र कुरड़ा जाति मेघवंशी निवासी उतरादी कोटड़ी वार्ड नं0 9 बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर जरिए मुख्त्यार अबरार अहमद पुत्र अयूब अली जाति कायमखानी निवासी उतरादी कोटड़ी बेसवा तहसील फतेहपुर

वादी

बनाम

1. पूर्णमल पुत्र नारयण
2. शंकरलाल
3. मदनलाल
4. भागीरथ
5. मनफूल
6. कालूराम
7. मनीराम
8. विधाधर
9. विनोद
10. शिशपाल

    समस्त पुत्रगण केशरदेव जाति मेघवंशी निवासीगण उतरादी कोटड़ी बेसवा तहसील फतेहपुर

11. चाना देवी बेवाह केशरदेव जाति मेघवंशी निवासी उतरादी कोटड़ी बेसवा तहसील फतेहपुर
12. किशोर पुत्र दानाराम जाति नायक निवासी ग्राम कासली (सीकर) राज0
13. तहसीलदार फतेहपुर
14. हल्का पटवारी, पटवार हल्का बेसवा

——प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा

मुकद्दमा नं.....03..........................सन्....2018...व

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..........मेरे... मनजानिब मुद्दायलह पेश हाजिरी...श्री दिनेश शर्मा एडवोकेट..........................मिनजानिब मुद्दई रूबरू....... होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि खसरा नम्बर 576 रकबा 1.3900है. जिसका नया खसरा नम्बर 887 रकबा 1.3900है. वाके ग्राम बेसवा का निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर सीकर

सं.	नाम खातेदारान	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
	तेजा पुत्र कुरड़ा जाति मेघवाल सा. देह	887/2	0.4575है.	बा.2	2.28
2	जाफर खां पुत्र फूल खां जाति कायमखानी सा. बेसवा	887/3	0.25है.	बा.2	1.25
3	कालुराम पुत्र केशर हि. 0.022है. भागीरथ पुत्र केशर हि. 0.046है. मदनलाल पुत्र केशर हि. 0.046है. मनफूल पुत्र केशर हि. 0.022है. मनीराम पुत्र केशर हि. 0.022है. विधाधर पुत्र केशर हि. 0.022है. विनोद पुत्र केशर हि. 0.046है. शंकरलाल पुत्र केशर हि. 0.046है. चाना पत्नी केशर हि. 0.022है. पूर्णमल पुत्र नारायन हि. 0.11है. जाति मेघवाल सा. देह रमेश कुमार पुत्र नत्थूराम हि.0.1125है. जाति बलाई सा. फतेहपुर किशोर कुमार पुत्र दानाराम हि.0.12है. जाति नायक सा. कासली शिशपाल पुत्र केशर हि. 0.046है. जाति मेघवाल सा. देह	887/1	0.6825है.	बा.2	3.42

खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....09......माह ......अगस्त............सन् 2019

को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

दस्तखत..................................

ओहदा..................................

उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर सीकर

मुद्दई	रुपया	पैसा	मुद्दयलह	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा	–	
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महन्ताना वकील	–		महन्ताना वकील	–	
खर्चा गवाहान	–		खर्चा गवाहान	–	
फीस कमिश्नर	–		फीस कमिश्नर	–	
बबत इजराय हुक्मनामा	–		बबत इजराय हुक्मनामा	–	
मुतफरिक	–		मुतफरिक	–	
मीजान	3			–	

नोट – इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो पुरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं।

प्राथमिक पर्चा डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.................मुकाम.........फतेहपुर (सीकर)

इजलास...............रेनू मीणा (आर.ए.एस..)...

तेजा उर्फ तेजाराम पुत्र कुरड़ा जाति मेघवंशी निवासी उतरादी कोटड़ी वार्ड नं0 9 बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर जरिए मुख्यार अबरार अहमद पुत्र अयूब अली जाति कायमखानी निवासी उतरादी कोटड़ी बेसवा तहसील फतेहपुर

वादी

बनाम

1. पूर्णमल पुत्र नारयण
2. शंकरलाल
3. मदनलाल
4. भागीरथ
5. मनफूल
6. कालूराम
7. मनीराम
8. विधाधर
9. विनोद
10. शिशपाल

    समस्त पुत्रगण केशरदेव जाति मेघवंशी निवासीगण उतरादी कोटड़ी बेसवा तहसील फतेहपुर
11. चाना देवी बेवाह केशरदेव जाति मेघवंशी निवासी उतरादी कोटड़ी बेसवा तहसील फतेहपुर
12. किशोर पुत्र दानाराम जाति नायक निवासी ग्राम कासली (सीकर) राज0
13. तहसीलदार फतेहपुर
14. हल्का पटवारी, पटवार हल्का बेसवा

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा

मुकद्दमा नं.....03............................सन्....2018...

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..........मेरे..

व हाजिरी...श्री दिनेश शर्मा एडवोकेट..........................मिनजानिब मुद्दई रूबरू..................... एडवोकेट ....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम बेसवा की भूमि खसरा नंबर 576 रकबा 1.3900 है0 नया खसरा नं0 887 रकबा 1.3900है0 का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किया जाकर अलग से खसरा नम्बर व लगान कायम किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेगें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

तहसीलदार फतेहपुर को आदेश दिया जाता है कि बंटवारा प्रस्ताव व मौका नक्शा विभिन्न रंगों से दर्शाते हुए दो प्रतियों में भिजवाया जावें।

निज........– ....मुबलिग..................–......................बाबत.........................–.....................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय शूद बशरह..................–..........................फीसदी सालाना आज की तारीख से तरीख अदायगी तक..का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....25......माह ......फरवरी..........सन् 2019 को जारी की गई।

दस्तखत..

(रेनू मीणा)

ओहदा..

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

मुहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा	–	
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महन्ताना वकील	–		महन्ताना वकील	–	
खर्चा गवाहान	–		खर्चा गवाहान	–	
फीस कमिश्नर	–		फीस कमिश्नर	–	
बबत इजराय हुक्मनामा	–		बबत इजराय हुक्मनामा	–	
मुतफरिक	–		मुतफरिक	–	
मीजान	3				

नोट – इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो पुरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हा या नहीं।